न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी डोईवाला।

वाद सं.– 58 /2018

मौजा – माजरीग्रान्ट
परगना – परवादून
धारा– 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

मैसर्स नेचर प्यारे द्वारा साझीदार प्रदीप चौधरी

बनाम

राज्य

नकल निर्णय सत्यापित प्रतिलिपि

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी मैसर्स नेचर प्यारे द्वारा साझीदारी प्रदीप चौधरी पुत्र श्याम सुन्दर चौधरी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2018 पर प्राप्त तहसीलदार डोईवाला की आख्या दिनांक 23.06.2018 के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि खाता सं. 133 खसरा न. 4776 क मि. रकबा 0.154है. भूमि लगानी 4.00 रूपये स्थित मौजा माजरीग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाला जिला देहरादून बतौर संक्रमणीय भूमिधर एवं स्वामी है। तथा प्रार्थी का नाम विधिवत खतौनी मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि को धारा 143 मे अकृषक भूमि घोषित हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार डोईवाला की जॉच आख्या दिनांक 23.06.2018 के अनुसार मौज माजरीग्रान्ट के खाता सं. 133 फसली वर्ष 1411–1416 तक खसरा न. 4776 क मि. रकबा 0.154है. लगानी 4.00 रूपये भूमि प्रार्थी मैसर्स नेचर प्यारे द्वारा साझीदारी प्रदीप चौधरी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुटपालन, मत्स्य पालन, के उपयोग मे नही लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान मे शहद, सफाई, पैकिंग, आंवला, मुरब्बा कैंडी पैकिंग का कार्य किया जा रहा है तथा कर्मचारियों के आवास स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 24.04.2018 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थी बैंक से ऋण लेना चाहता है जिस हेतु प्रार्थी भूमि को अकृषक घोषित करवाना चाहता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार डोईवाला की आख्या दिनांक 23.06.2018 एवं संलग्न खतौनी तथा स्थलीय फोटोग्राफ व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर मौजा माजरीग्रान्ट परगना परवादून तहसील डोईवाला की खतौनी फसली वर्ष 1411–1416 के खाता सं. 133 खसरा न. 4776 क मि. क्षेत्रफल 0.154है.0 लगानी 4.00 रूपये पर कृषि का कार्य नही हो रहा है। तथा प्रश्नगत स्थल पर संलग्न फोटोग्राफ एवं तहसीलदार की आख्या के अनुसार भवन निर्मित है। भूमि का प्रयोग

Sub Divisional Magistrate परगना मैजिस्ट्रेट (सदर) डोईवाला

कृषि/बागवानी/पशुपालन/कुकुट पालन/मत्स्य पालन हेतु नही किया जा रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मौके का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रश्नगत भूमि के पूरब मे भूमि भगवान सिंह की, पश्चिम मे भूमि कुतुबुददीन की, उत्तर मे रास्त 13 फीट चौडा, दक्षिण मे भूमि सुखराम, की होना उल्लेखित है। प्रार्थी द्वारा दावित भूमि का चालान संख्या 26 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा निर्धारित शुल्क सम्बन्धित लेखा शीर्षक मे जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अतः धारा 143 यू0पी0जेड0एल0आर0एक्ट0 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते उपरोक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नही है। अतः निम्न आदेश पारित किये जाते है।

आदेश

राजस्व ग्राम माजरीग्रान्ट तहसील डोईवाला परगना परवादून जिला देहरादून के खता सं. 133 खसरा न. 4776 क मि. क्षेत्रफल 0.154है. मे लगानी 4.00 रुपये भूमि को अकृषक घोषित किया जाता है । तद्नुसार परवाना जारी होवे। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

(कुश्म चौहान)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी
डोईवाला।

आदेश आज दिनांक 28.6.18 को खुले न्यायालय मे उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी
डोईवाला।

Sub Divisional Magistrate
परगना मजिस्ट्रेट (सदर) डोईवाला
उपजिला मजिस्ट्रेट

हस्ताक्षर तैयार कर्ता ....

हस्ताक्षर जांच कर्ता ....

प्रार्थना पत्र की संख्या 67 ....

प्रार्थना पत्र की दिनांक 3.7.12 ....

प्रार्थी का नाम रविन्द्र सिंह बिष्ट ....

शब्दों की संख्या 300/- शुल्क 13.00

तैयार करने की तिथि 3.7.12 ....

देने की तिथि 3.7.12 ....

देने वाले के हस्ताक्षर ....

सत्य प्रतिलिपि

पेशकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर

प्रथम श्रेणी/परगना मैजिस्ट्रेट